

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 48/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/60

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

1. अब्बास पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स-
SMS Traders, आशापुरा परतापुर, मैन
रोड परतापुर, बांसवाड़ा
2. कुतबद्दीन लाईटवाला पुत्र श्री फैजुलाजी
लाईटवाला मैसर्स- Mizan Marketing,
आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाड़ा
3. Manoj Goel (Partner) Silvassa
Bottling Co. Survey No. 131,
Khanvel Silvassa Main road,
Near Global Health Care,
Silvassa, Dadar Nagar Haveli
Pin 396230
4. Vaibhav Goel (Partner) Silvassa
Bottling Co. Survey No. 131,
Khanvel Silvassa Main road,
Near Global Health Care,
Silvassa, Dadar Nagar Haveli
Pin 396230

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11-10-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा
दिनांक 13-09-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक
14-06-2022 को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की
जांच हेतु मैसर्स- SMS Traders, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाड़ा पर पहुंचा।
इस समय सरस्थान पर अब्बास पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान
का निरीक्षण करने पर Flavoured Drink Mango Gold (Brand - Kaycee
English) के 240 पैक बोतल प्रत्येक बोतल 200 एम.एल का आम जनता के उपलब्ध हेतु
पेश किया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए



पर सूचना देते हुए **Flavoured Drink Mango Gold (Brand- Kaycee English)** के 24 पैक मूल बोतल वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा **Flavoured Drink Mango Gold (Brand- Kaycee English)** के 24 पैक मूल बोतल के चार भाग करके चार पैकेट तैयार करके मौके पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1109** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/253-254 दिनांक 19-07-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 603 दिनांक 28-06-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Flavoured Drink Mango Gold (Brand- Kaycee English)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1109** Misbranded under section 3(1)(z)(A)(l) & C(l) of food safety and standers act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Flavoured Drink Mango Gold (Brand- Kaycee English)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-09-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थीगण सं 3 व 4 की ओर से अथोरिटी लेटर लेकर श्री संतोष तिवारी पिता श्री मुरारीलाल तिवारी उपरिथत हुए। अप्रार्थी सं. 1, 2 व अप्रार्थी सं 3.4 की ओर से श्री संतोष तिवारी पिता श्री मुरारीलाल तिवारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा



Handwritten signature

अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/253-254 दिनांक 19-07-2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 603 दिनांक 28-06-2022 अनुसार विक्रेता से वारंते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Flavoured Drink Mango Gold (Brand- Kaycee English)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1109** Misbranded under section 3(1)(z)(A)(I) & C(I) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(z)(A)(I) & C(I) के तहत मिसब्रान्डेड **Flavoured Drink Mango Gold (Brand- Kaycee English)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर 1. अब्बास पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स- **SMS Traders**, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाड़ा को रूपये 15,000/- (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र), 2. कुतबद्दीन लाईटवाला पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स- **Mizan Marketing**, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाड़ा को रूपये 15,000/- (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र), 3. **Manoj Goel (Partner) Silvassa Bottling Co. Survey No. 131, Khanvel Silvassa Main road, Near Global Health Care, Silvassa, Dadar Nagar Haveli** को रूपये 30,000/- (अक्षरे रू तीस हजार मात्र), 4. **Vaibhav Goel (Partner) Silvassa Bottling Co. Survey No. 131, Khanvel Silvassa Main road, Near Global Health Care, Silvassa, Dadar Nagar Haveli** को रूपये 30,000/- (अक्षरे रू तीस हजार मात्र) के अर्थ देण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य,




ns



800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।


(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णय अधिकारी
न्याय निर्णय अधिकारी
(अति-जिला न्यायाधीश)
बॉसवाडा (उ.प्र.)

